न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हापुड

उपस्थितः– विपिन कुमार–।। (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6070)

UPHP010057712024

सत्र परीक्षण सं0 837/2024

सरकार बनाम भूरा उर्फ रियासत हुसैन।

मु0अ0सं0–431/2021
अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम,
थाना–हापुड़ देहात,
जनपद हापुड़।

आरोप

मैं, विपिन कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हापुड़ एतद्द्वारा आप **भूरा उर्फ रियासत हुसैन पुत्र सलीम** को निम्नांकित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक 08.09.2021 को समय 03.50 बजे, स्थान टियाला बाईपास के पास, थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ में वादी मुकदमा बनी सिंह उपनिरीक्षक व पुलिस पार्टी के द्वारा आपके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त तमंचे का मांगने पर आप कोई वैध लाईसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा आप **भूरा उर्फ रियासत हुसैन पुत्र सलीम** को निर्देश देता हूँ कि आपके उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 09.12.2024

(विपिन कुमार–।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हापुड़।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक 09.12.2024

(विपिन कुमार–।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हापुड़।

Digitally signed by
VIPIN KUMAR
Date: 2024.12.09
14:55:50 IST
Reason: Charge
Location: ADJ-1,
Hapur